तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एल.आर./5695/2005/चितौडगढ सरकार बनाम रामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री आर.पी. मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 25.08.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर ने तहसीलदार, छोटी सादडी द्वारा प्रेषित रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम धामनिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 05बीघा 06बिस्वा स्वर्गीय भाना पिता दौला मीणा की खातेदारी की भूमि थी, जिसमें से आराजी नम्बर 40/2 रकबा 03बीघा 11बिस्वा भूमि घीसालाल महाजन के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 19–05–1957 को दर्ज की गयी तथा शेष आराजी 01बीघा 16बिस्वा भूमि भानाराम के नाम दर्ज रिकार्ड रहीं। इसके उपरान्त नामान्तकरण संख्या 30

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एल.आर./5695/2005/चितौडगढ सरकार बनाम रामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 19–8–1958 से ओनाडसिंह के नाम 01बीघा 15बिस्वा भूमि दर्ज हुई। ओनाडसिंह ने उक्त भूम जीवराज को विक्रय की जिसका नामान्तरकण संख्या 50 दिनांक 17–08–1960 को क्रेता के नाम दर्ज किया। तत्पश्चात् जीवराज महाजन ने उक्त भूमि रामेश्वरलाल, लक्ष्मीनारायण पिता भूरा ब्राहमण को हस्तान्तरित की, जिसका नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 30–10–1964 को क्रेतागण के पक्ष में स्वीकृत हुआ। उनका कथन है कि विवादित आराजी भाना पिता दौला मीणा की खातेदारी की भूमि थी, जो अनुसूचित जन जाति का सदस्य होने से उसकी आराजी सवर्ण जाति के क्रेतागण के नाम राजस्थान कातश्कारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 में प्रावधित प्रावधानों के तहत दर्ज नहीं हो सकती है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का हस्तान्तरण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा सामान्य वर्ग के व्यक्ति को किया गया है, जो धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को आक्षेपित निर्णय से खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है, जिसे मण्डल को प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी बाबत् स्वीकृत समस्त नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलक्टर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत होने पर, उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एल.आर./5695/2005/चितौडगढ सरकार बनाम रामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक प्रावधानों के तहत जिला कलक्टर द्वारा अभिलेख का अध्ययन करने के उपरान्त अपनी राय प्रदान करते हुए कार्यवाही की जाती है, जो किसी भी प्रकार से निर्णीत प्रकरण में शुमार नहीं होती है तथा धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पर पारित निष्कर्ष के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सकता है। उनका कथन है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विवादित आराजी पर वर्ष 1954 के पूर्व से घीसालाल महाजन का कब्जा काश्त होना एवं पंजीकृत रहननामा वर्ष 1954 में निष्पादित होना मानते हुए धारा 42–बी के प्रावधान लागू नहीं होना मानते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, छोटी सादडी ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धामनिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 05बीघा 06बिस्वा स्वर्गीय भाना पिता दौला मीणा की खातेदारी की भूमि थी। मूल खातेदारी मीणा जाति का होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य था, जिसकी आराजी विभिन्न नामान्तरकणों के जरिये सवर्ण जाति के व्यक्तिों के नाम दर्ज की गयी है, जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42–बी का उल्लघन हुआ है। अतः विवादित आराजी बाबत् बैचान के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकणों को निरस्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एल.आर./5695/2005/चितौडगढ सरकार बनाम रामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने हेतु मण्डल के समक्ष रेफरेन्स प्रेषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। तत्पश्चात् उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय से तहसीलदार, छोटी सादडी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को आक्षेपित निर्णय दिनांक 31–08–2005 से खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा रेफरेन्स प्रकरण मण्डल को प्रेषित करने अथवा नहीं करने का जो आदेश दिया जाता है, वह निर्णय की परिभाषा में आता है और उसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी अथवा प्रार्थनापत्र पोषणीय है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में वर्तमान विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेफरेन्स करने का आदेश, सम्बन्धित कलक्टर की राय ही मानी जावेगी, जिसे इस सम्बन्ध में वर्तमान विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेफरेन्स करने का आदेश, सम्बन्धित कलक्टर की राय ही मानी जावेगी, जिसे निर्णय नहीं माना जावेगा। जैसा कि 1993 आरआरडी पेज 680 के पैरा संख्या–4 में प्रतिपादित किया है, जो निम्नानुसार है – It is well settled that while making a reference or refusing to make as reference, the Collector simply expresses an opinion which may or may not be accepted by the Board of Revenue. The order dated 30-06-86 is, therefore, not an order in the strict sense of the term and, therefore, no revision is maintainable against the same." उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स प्रेषित नहीं करने के आदेश के विरूद्ध निगरानी अथवा प्रार्थनापत्र संधारण योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त भी प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एल.आर./5695/2005/चितौडगढ सरकार बनाम रामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर यह मानते हुए कि विवादित आराजी पर वर्ष 1954 के पूर्व से ही घीसालाल महाजन के कब्जे काश्त में थी तथा पंजीकृत रहननामा भी वर्ष 1954 में निष्पादित किया गया था। इस प्रकार राजस्थान कातश्कारी अधिनियम प्रभावशील होने से पूर्व ही विवादित आराजी का कब्जा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों ने अन्य जाति के व्यक्ति को सोंप दिया था एवं धारा 42–बी दिनांक 01–05–1964 को लागू किये जाने से पूर्व ही वर्ष 1957 एवं 1958 में विवादित आराजी का नामान्तरकण अन्य जाति के व्यक्तियों के नाम तस्दीक हो गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेफरेन्स प्रार्थनापत्र पर पारित अनुशंषाधीन निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता, ना ही पारित आक्षेपित निर्णय को दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत माना जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होने से पारित अनुशंषाधीन आक्षेपित निर्णय में राजस्व मण्डल को प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायेाचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र/एल.आर./5695/2005/चितौडगढ सरकार बनाम रामलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	